मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय

कार्यालयः टैगोर छात्रावास क्रमाँक टी–2, श्यामला हिल, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755–2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमाक / सचि. / ओएसडी / 2017 / 1500 दिनाक–10/7/2017

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / संचालक / प्राचार्य,
(निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं)
मध्यप्रदेश।

विषय– प्रदेश के निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के आगामी ब्लॉक के अर्थात् सत्र् 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के शुल्क विनियमन के संबंध में।

संदर्भ– 1. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / 1466 दिनांक 29.06.2017.
2. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / 1325 दिनांक 22.06.2017.
3. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / 212 दिनांक 02.02.2017.

***

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करने कष्ट करें।

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को विभिन्न संस्थाओं से आवेदन प्राप्त हुये हैं जिसके अनुसार उनके द्वारा प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के आगामी सत्र के शुल्क विनियमन से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत न कर शुल्क विनियमन नहीं कराये जाने के कारण उच्च शिक्षा विभाग द्वारा काउसिंलिंग में सम्मिलित नहीं किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। इन संस्थाओं के द्वारा उन्हें शुल्क विनियमन प्रक्रिया में सम्मिलित होने का एक अवसर प्रदान किये जाने को अनुरोध किया गया है, जिसे माननीय अध्यक्ष द्वारा संज्ञान में लिया गया एवं दिये गये निर्देशानुसार इन संस्थाओं को एन.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों यथा बी.एड., बी.पी.एड., एम.एड. एवं एम.पी.एड., इत्यादि संचालित करने वाली संस्थाएं जो प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, सचिवालय में आगामी ब्लॉक अर्थात् सत्र् 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 के शुल्क विनियमन से संबंधित प्रस्ताव किन्हीं कारणवश भरने में असमर्थ रहीं हैं उन्हें **दिनांक 11.07.2017 से 12.07.2017** तक ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन पत्र एवं निर्धारित प्रोफार्मा अपलोड करने का पुनः एक अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है।

अन्य निर्देश उपरोक्त संदर्भित पत्रों के अनुसार यथावत रहेंगे।

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव / विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी

पृ.क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2017 / दिनांक –

प्रतिलिपि–1. माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कार्यपालक निदेशक, क्रिस्प, भोपाल को इस टीप के साथ कि वे इस पत्र को समिति के बेव पोर्टल के होमपेज पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

सही

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव / विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी